

प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 14.08.2026

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 323,504 भादवि के 02 आरोपियों को पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व 15 दिन का साधारण

कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना सदर बाजार पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एसजेएम-2 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना सदर बाजार में 1. महेन्द्र पुत्र स्व0 बाबुराम 2. वीरपाल पुत्र स्व0 बाबुराम नि0 बेहता शहबाजनगर द्वारा वादिनी के साथ मारपीट व गाली गलौच के आरोप में पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व 15 दिन का साधारण कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण-

1. महेन्द्र पुत्र बाबुराम नि0 बेहता शहबाजनगर थाना सदर बाजरा शाहजहाँपुर ।
2. वीरपाल पुत्र स्व बाबुराम नि0 बेहता शहबाजनगर थाना सदर बाजरा शाहजहाँपुर ।

घटना व सजा का विवरण-

एनसीआर नं0 - 71/2016 धारा 323,504 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर में 1. महेन्द्र पुत्र स्व0 बाबुराम 2. वीरपाल पुत्र स्व0 बाबुराम नि0 बेहता शहबाजनगर द्वारा वादिनी के साथ मारपीट व गाली गलौच के आरोप में पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि व 15 दिन का साधारण कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।